तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3060/2006/सवाईमाधोपुर बदरी बनाम फूलवती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.08.2022	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण। श्री वी0पी0सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी। **<u>निर्णय</u>** प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बौंली के आदेश दिनांक 28/03/2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। आलौच्य आदेश दिनांक 28/03/2006 के द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश में **<u>तनकी संख्या 7 ''आया वादीगण का वाद पत्र रेस–ज्युडिकेटा होने के कारण निरस्त योग्य है''।</u>** कायम करते हुये प्रार्थीगण/वादीगण का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त आदेश से ग्रसित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत, विधि विरूद्ध एवं अपने क्षेत्राधिकार दुरूपयोग करते हुए पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत यह वाद संख्या 112 /04 बदरी बनाम फूलवती एवं पूर्व वाद संख्या 633/99 बदरी बनाम देव्या, दोनों वाद पूर्णतयः भिन्न भिन्न प्रकृति के है। दोनों वादों मे पक्षकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3060/2006/सवाईमाधोपुर बदरी बनाम फूलवती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भिन्न है तथा वाद बिन्दू एवं विवादित आराजी भिन्न–भिन्न है। इसलिए वाद संख्या 112 /04 को पूर्व वाद के आधार पर रेस–ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के पर खारिज नहीं किया जा सकता है। रेस–ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त समान पक्षकार व समान विवादित आराजी एवं समान विधिक बिन्दु होने पर लागू होता है परन्तु इस प्रकरण में उक्त समस्त बिन्दु भिन्न है इसलिए इस प्रकरण में रेस–ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को पूर्ण अवलोकन व परीक्षण किये बिना प्रकरण में उक्त तनकी कायम करते हुये प्रकरण को रेस–ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा पूर्व में उक्त आराजीयात के संबंध में एक वाद बाबत उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का बदरी बनाम देव्या प्रस्तुत कर रखा था। उक्त वाद को निर्णय दिनांक 20.04.2001 को न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा खारिज किया जा चुका था। इस प्रकार पुनः उसी विवादित आराजीयात का उन्हीं तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया गया है जो रेस–ज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किये जाने योग्य था जिसे परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 7 कायम करते हुये वादीगण/प्रार्थीगण का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उक्त वाद पत्र भी ख00न0 1598 था तथा यह वाद पत्र भी ख0न0 1598 के सबंध में है तथा पक्षकार भी समान ही है। ऐसी स्थिति में जब एक वाद न्यायालय द्वारा समान पक्षकार, समान खसरा नंबर व एक ही विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3060/2006/सवाईमाधोपुर बदरी बनाम फूलवती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिन्दु पर निर्णित हो चुका हो तो दूसरा धारा 11 के तहत चलने योग्य नहीं है। इसलिए उक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को सारहीन होने से खारिज करने व परीक्षण न्यायालय का आदेश यथावत रखने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 11 सी0पी0सी0 में पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर किसी भी वाद को खारिज करने के लिए पूर्व न्याय के सिद्धान्त के बिन्दु पर उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरांत ही इस संबंध में विधि अनुसार समुचित निर्णय किया जाना संभव होता है। पूर्व न्याय के सिद्धान्त प्रश्न तथ्यों और विधि का एक मिश्रित प्रश्न होता है। जिसका समाधान व निर्णय उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत ही संभव है। अतः इसके संबंध में तनकी बनाकर संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड पर लेकर प्रदर्श करवाने के उपरांत ही संबंधित साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। उक्त साक्ष्य के आधार पर ही दोनों प्रकरणों में समान पक्षकार होना, समान विवादित आराजी का होना तथा समान वाद कारण व अनुताष के होने के प्रश्न का परीक्षण व निर्णय संभव हो सकेगा। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2006 अपास्त किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3060/2006/सवाईमाधोपुर बदरी बनाम फूलवती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	